

प्रश्न

**विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव**

जवाब में

**श्री. अशोक कुमार शर्मा, शिक्षक, जिला शिक्षा परिषद, नई दिल्ली**

विभाग 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 21 अक्टूबर 2009

**विषय:- श्री. अशोक कुमार शर्मा द्वारा जिला शिक्षा परिषद में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उक्त संदर्भित विद्यालय में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव देना अनुपयुक्त प्रमाण पर दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत सोलापटी का ताल-संख्या पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में लक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और जहाँ 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में निम्नलिखित वर्गों के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय आध्यात्मिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संघटना केन्द्रीय आध्यात्मिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा अनुदान प्राप्त है तो उक्त केन्द्रीय परिषदों की संघटना प्राप्त होने की तिथि से 3090 आध्यात्मिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा सहायता ही जायेगी।





- 15: संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के तलबे तलमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 16: कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार केमूवानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

**श्री प्रकाश मुखर्जी**  
**मुख्य अधिकारी**

सू०सं०स्व० दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- माहलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मेरठ**।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **बलिया**।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- **प्रबंधक, ~~श्री प्रकाश मुखर्जी~~ **मुख्य अधिकारी**।**
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा की  
**श्री प्रकाश मुखर्जी**  
**मुख्य अधिकारी**

*F. Timothy*  
 MANAGER  
 ST. ANTHONY'S SCHOOL  
 TATARPU, B...  
 DISTT. GHAZIABAD (Urdu) Capital  
 ST. Anthony's School Tatarpu  
 Babugath-2412  
 Distt. Ghaziabad

*F. Timothy*  
 Manager  
 St. Anthony's School  
 Tatarpu, Hapur



- 15 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से व वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूवामुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री १०८ प्रमुख प्रमुख  
श्री १०८ प्रमुख प्रमुख

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~उत्तर प्रदेश~~ ।
- 6- गार्ड बुक ।



Principal  
St. Anthony's School  
Tatarpur, Hapur-245101(U.P.)

आज्ञा से  
श्री १०८ प्रमुख प्रमुख  
श्री १०८ प्रमुख प्रमुख